

फर्द अहकॉम


(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा

रावताराम बनाम प्रभुराम वगैरा

किरम मुकदमा- राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर- 29 / 2025

तारीख हुकम	हुकम कार्रवाई मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.02.2025	<p>वादी के अधिवक्ता श्री श्रीराम विशनोई ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 07.04.2025 को पेश हो।</p>	
13/03/25	<p>पत्रावली पेना हुकी वादी वकील एवं वादी उप. वादी वकील ने अर्चना पत्र वाले पत्रावली पेना पर लेने वाला पेना कर निवेदन किया कि पत्रावली भाज पेना पर ली जावे। वकील वादी के अर्चना पत्र पर पत्रावली भाज पेना लारीसव पर ली गई। वादी वकील ने अर्चना पत्र वाले वाद विद्वा करने वाला पेना कर निवेदन किया कि उक्त अनवान के उचरण में हमारे गाँव के मौजिद लोगो ने आपसी समझाइस करके राजीनामा करा दिया है इसलिए हम उक्त उचरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा उक्त वाद को इली स्टेज पर बिद्वा करना चाहते हैं इसलिए उक्त राजस्व वाद को जरिये राजीनामा विद्वा फरमाया जावे। वादी वकील द्वारा उल्लुत अर्चना पत्र को ल्यासहित में र-वीउर किया जाउर उक्त अनवान के वाद को जरिये राजीनामा विद्वा किया जाता है। पत्रावली फंसल सुमार होउर वरिबल दफ्तर हो। खस्यता के कम हो।</p>	<p> क.कि. रावताराम वाकील वादी</p>

